मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 17-9-/2013

क्रमांक–एफ–3–26 / 2013 / 32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम भौरी	1121 / 1 / 1 / 2, 1122, 1123 / 2, 1124 / 2 / 2, 1132 / 1, 1133, 1139,1132 / 2, 1133, 1139, 1147 / 2, 1148, 1149, 1146 / 1 / 2, 1146 / 2 / 1, 1146 / 2 / 2,	4.422 हेक्टेयर मे से 4.09 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के अतर्गत शैक्षणिक(नर्सिंग कॉलेज का निर्माण) शर्ते–1. खसरा कमांक 1116, 1126, तथा 1143 पर स्थित शासकीय रास्ते को 12 मीटर चौडा बनाया जाना आवश्यक होगा इस हेतु खसरा कमांक 1143 से संलग्न चिरायु चेरिटेबिल संस्था के स्वामित्व की भूमि उक्त रास्ते को 12 मीटर चौड़ा करने के लिये छोडी जाना आवश्यक होगी । 2.नाले पर पुल के निर्माण हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन तथा राजस्व विभाग से उपांतरण की अधिसूचना जारी होने के पूर्व

					अनुमति ली जाना आवश्यक होगा । 3.रेल्वे की भूमि सीमा से नियमानुसार 30 मीटर के क्षेत्र में कोई निर्माण न किया जाये । 4.विकास प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण संबधी स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा ।
		योग–	4.09 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग